-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 08.10.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **दीपावली से पूर्व बांदा पुलिस की बड़ी कार्यवाही, अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। मौके से लगभग दो लाख रुपये की कीमत का निर्मित/अर्द्धनिर्मित पटाखा व पटाखा बनाने की सामग्री, बारुद, विस्फोटक रासायनिक पदार्थ आदि बरामद।**

विवरण- सुरक्षित, सौम्य एवं दुर्घटनारहित दीपावली सम्पन्न कराने की शासन की मंशा एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक चित्रकूटधाम परिक्षेत्र बांदा श्री राजेश एस .के निर्देशों के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल नेतृत्व में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में अवैध रुप से पटाखा निर्माण, भंडारण एवं विक्रय करने वालों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर सुश्री मेविस टॉक के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 07.10.2025 की देर रात्रि को थाना कोतवाली देहात की पुलिस टीम को गश्त एवं चेकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम गुरेह में एक खेत में बने कमरे में अवैध रूप से पटाखों का निर्माण किया जा रहा है। प्राप्त सूचना को गंभीरता से लेते हुए कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए मौके पर जाकर छापेमारी कर अवैध पटाखा निर्माण फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया तथा अवैध रुप से पटाखे का निर्माण कर रहे 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। मौके से भारी मात्रा में निर्मित एवं अर्धनिर्मित पटाखे, बारूद, विस्फोटक रासायनिक पदार्थ, खाली डिब्बे, पैकिंग सामग्री, रैपर/कागज, पटाखे बनाने के उपकरण एवं निर्माण में प्रयुक्त आदि सामग्री बरामद की गई।। पूछताछ में अभियुक्तों ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि वे दीपावली के पूर्व बाजार में अवैध रूप से पटाखों की आपूर्ति करने की तैयारी में थे। इस सम्बन्ध में पुलिस द्वारा गहनता से जांच की जा रही है कि अभियुक्तों द्वारा पटाखा बनाने की अवैध सामग्री वे कहाँ से लाते थे, तथा इस नेटवर्क के अन्य सदस्य कौन-कौन हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अवधेश वर्मा पुत्र रामशरन वर्मा निवासी ग्राम हस्तम थाना बिसंडा जनपद बांदा।
2. मोनू सेन पुत्र रामानंद निवासी खुरहण्ड थाना गिरवां जनपद बांदा।

बरामदगी-

- 46.3 किलोग्राम बड़ा रैपर लाइट
- 3.4 किलोग्राम छोटा रैपर लाइट
- 58 किलोग्राम अर्ध निर्मित लाइट (बारूद भरा)
- 50 किलोग्राम पूर्ण निर्मित लाइट (बारूद भरा)
- 2.6 किलोग्राम निर्मित पटाखे
- 21.4 किलोग्राम बारूद पाउडर
- 18.7 किलोग्राम सफेद पाउडर
- 4.8 किलोग्राम गंधक पाउडर
- 4.3 किलोग्राम कोयला पाउडर
- 14.1 किलोग्राम सफेद पाउडर (वरेठा)
- 3.9 किलोग्राम काला पाउडर विस्फोटक

- 2.7 किलोग्राम काला गहरा पाउडर
- 01 किलो अवरी रंग गुलाबी
- 1.3 किलोग्राम स्लेटी रंग पाउडर

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 00/25 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री चन्द्र प्रकाश तिवारी थानाध्यक्ष कोत0 देहात
2. व0उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार
3. उ0नि0 श्री शिववीर सिंह
4. हे0कां0 अभय कुमार
5. कां0 गोकरण सिंह
6. कां0 अरविन्द कुमार
7. कां0 अंकेश कुमार
8. कां0 दीपक